वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 44 वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी 2013 को अपरान्ह पूर्व 11.00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. प्रो0 विनय पाठक — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. प्रो0 एच0पी0 शुक्ला — सदस्य
   आचार्य
   उतराखंड वि0वि0 हल्दवानी।

3. प्रो0 कपिल कुमार — सदस्श
   इंदिरा गांधी रा0मु0 वि0वि0,नई दिल्ली।

4. प्रो0 पी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य(प्रबंध)वमखुविवि,कोटा।

5. प्रो0 बी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य (इतिहास)
   वमखुविवि,कोटा ।

6. डा0 आर0 सी0 मीणा — सदस्य
   निदेशक (क्षे0के0)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   अजमेर।

7. डा0 अरविंद पारीक — सदस्य
   निदेशक (क्षे0के0)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   जयपुर।

8. डा0 एल0 आर0 गुर्जर — सदस्य
   सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

9. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
सह आचार्य (इतिहास)वमखुविवि,कोटा।

10. डा0 एच0 बी0 नंदवाना — सदस्य
सह आचार्य (पुस्तकालय विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

11. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

12. डा0 याकूब अली खान — सदस्य
सह आचार्य (इतिहास)वमखुविवि,कोटा।

13. डा0 जे0 के0 शर्मा — सदस्य
सह आचार्य (अर्थशास्त्र)वमखुविवि,कोटा।

14. डा0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

15. डा0 आर0 के0 जैन — सदस्य
सह आचार्य (प्रबंध)वमखुविवि, कोटा।

16. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
सह आचार्य(विधि) वमखुविवि,कोटा।

17. डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी — सदस्य
सहा0 आचार्य (अंग्रेजी)वमखुविवि,कोटा।

18. डा0 श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (हिन्दी)वमखुविवि,कोटा।

19. डा0 श्रीमती अनुराधा शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (वनस्पति शास्त्र) वमखुविवि,कोटा।

20. डा0 अनुरोध गोधा
सहा0 आचार्य (वाणिज्य)वमखुविवि,कोटा।

21. डा0 श्रीमति कीर्ती सिंह — सदस्य
सहा0 आचार्य (शिक्षा) वमखुविवि,कोटा।

22. डा0 दिनेश गुप्ता सह आचार्य(पुस्तकालय विज्ञान) वमखुविवि,कोटा। — विशेष आमंत्रित

23. डा0 श्री करण सिंह सह आचार्य(राजनीति विज्ञान) वमखुविवि,कोटा। — विशेष आमंत्रित

24. परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। — विशेष आमंत्रित

25. कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा। — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय के द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में गत माह प्रो0 विनय कुमार पाठक ने कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया है। इसके उपरांत कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद के नवीन अध्यक्ष प्रो0 विनय पाठक एवं चारों नवीन सदस्यगणों प्रो0 एच0पी0 शुक्ला एवं प्रो0 कपिल कुमार का परिचय करवाया तथा सदन को यह भी सूचित किया कि दो नवनियुक्त सदस्य प्रो0 जे0पी0एस0राय, एच0बी0टी0आई0 कानपुर एवं प्रो0 विभा उपाध्याय, इतिहास विभाग, राज0वि0 वि0जयपुर अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए।

आवश्यक गणापूर्ति के बाद विधिवत रूप से सदन की बैठक प्रारंभ हुई एवं प्रस्तुत कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार निम्न निर्णय लिए गए :–

44/01 विद्या परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 23 अप्रेल 2012 एवं 43वीं बैठक दिनांक 09 अगस्त 2012 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा 42वीं एवं 43वीं बैठक के कार्यवाही विवरणों को एक साथ अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत किए जाने पर यह व्यवस्था दी कि भविष्य में बैठक के कार्यवाही विवरण को आगामी बैठक में आवश्यक रूप से अनुमोदित करवाया जाए, सदन द्वारा उक्त व्यवस्था पर सहमति प्रकट की गई । इसके उपरांत 42वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों से सदन को अवगत करवाते हुए सम्बन्धित सदस्यों से वर्तमान में उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में जानने पर आपत्ति प्रस्तुत करने वाले सदस्यों ने कहा कि अब उक्त आपत्तियों का निराकरण हो गया है, एवं सभी सदस्यों ने इस पर संतुष्टि व्यक्त की इसलिए कोई आपत्ति शेष नहीं रह गई है।

शिक्षकों के कार्यभार के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार कार्यभार निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे:—

1. प्रो0 कपिल कुमार (इग्नू)	संयोजक
2. डा0 एल0 आर0 गुर्जर	सदस्य
3. डा0 करण सिंह	सदस्य
4. डा0 बी0 अरूण कुमार	सदस्य सचिव

उक्त समिति मार्च के अंत तक अपना प्रतिवेदन माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

उक्त कार्यवाही के बाद सदन द्वारा विद्या परिषद की 42वीं एवं 43वीं बैठक के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

44/02 विद्या परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 23 अप्रेल 2012 एवं 43वीं बैठक दिनांक 09 अगस्त 2012 के निर्णयों के क्रम में अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

सदन द्वारा प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

44/03 विभिन्न देशों के राजदूतों एवं भारत में स्थाईवास चाहने के उद्देश्य से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के पत्र अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

KSP

प्रो0 कपिल कुमार ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्य सरकार/यू0जी0सी0 के दिशानिर्देश मुक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होते है, किंतु फिर भी यदि ऐसा कोई प्रकरण आए तो उन्हें प्रवेश प्रदान कर दिया जाए। सदन ने इस पर सहमति प्रदान की।

44/04 परीक्षा समिति की बैठकों में किए गए निर्णयों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया गया कि यदि परीक्षा समाप्ति के एक वर्ष तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्राप्त नहीं होते है तो सैद्वांतिक परीक्षा के अनुपात में आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान कर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। सदन का यह भी मत था कि परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू की जाए। इस पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत करवाया गया कि मूल्यांकन की केन्द्रीकृत व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व छात्रों के सम्बन्ध में भी सदन द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनके आंतरिक मूल्यांकन के अंक उपलब्ध नहीं है उन्हें भी औसत अंक प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए।

44/05 विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रारंभिक पाठ्यकमों को 12th के समकक्षता हेतु अध्ययन सामग्री निमार्ण हेतु समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव।

Faculty

इस सम्बन्ध में सदन को बी0ए0पी0 पाठ्यकमों में अंक नहीं दिए जाने के कारण आर रही समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस पर प्रो0 कपिल कुमार द्वारा कहा गया कि प्रारंभिक पाठ्यकमों में अंक प्रदान किए जाए, नवीन विषय जोड़े जाने चाहिए तथा विश्वविद्यालय के प्रवेश विज्ञापनों एवं प्रोस्पेक्टस में यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि प्रारंभिक पाठ्यकम बारहवीं कक्षा के समकक्ष नहीं है ताकि किसी प्रकार की विधिक समस्या उत्पन्न नहीं हो एवं विद्यार्थियों में भी किसी प्रकार की भ्रांती नहीं रहे।

सदन द्वारा उक्त मत से सहमति प्रकट करते हुए यह भी निर्णय किया गया कि प्रस्ताव में उल्लेखित समिति, माध्यमिक एवं ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर उनके समकक्ष पाठ्यक्रम संरचना का सुझाव देगी। उक्त समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विश्वविद्यालय राज्य सरकार से संपर्क कर उक्त पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रयास करेगा।

44/06 एम0 एससी0 में नये विषयों के पाठ्यकम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव।

Faculty

प्रस्ताव में प्रस्तुत विषयों (बॉटनी, जूलोजी, केमेस्ट्री एवं फिजिक्स) को प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई एवं इसमें बायोइंफोरमेटिक्स विषय भी सम्मिलित किया जाए।

44/07 विधि से सम्बन्धित नवीन पाठ्यकम प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

Faculty

प्रस्ताव में उल्लेखित विषयों को प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रकट करते हुए साइबर काइम एवं एल0एल0एम0 विषय के भी पाठ्यकम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

44/08 प्रायोगिक परीक्षा वाले पाठ्यकमों में परामर्श कक्षाऐं अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव।

Faculty

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यशाला को भी आवश्यक बनाए जाने का निर्णय किया गया।

44/09 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.02.13 का कार्यवाही विवरण एवं इस कम में प्रस्तावों का अनुमोदन।

परीक्षा

BB Sharma

प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उपाधियों पर हस्ताक्षर ही होने चाहिए, फेसिमाइल मोहर का उपयोग नहीं होना

चाहिए।उपाधियों के सुरक्षा मानकों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की गई:–

1. प्रो0 पी0 के0 शर्मा	संयोजक
2. कुलसचिव	सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

उपाधियों के वेरिफिकिकेशन के शुल्क के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई कि उपाधि जारी करने के बाद उसे नेट पर उपलब्ध करवाया जाए एवं वेरिफिकेशन का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे।

44/10 विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री का उपयोग अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने के सम्बन्ध नई व्यवस्था पर विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि सरकारी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से पाठ्यसामग्री पर 15 प्रतिशत रायल्टी अथवा पाठ्यसामग्री की कीमत पर 15 प्रतिशत लाभ एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से 20 प्रतिशत रायल्टी अथवा पाठ्यसामग्री की कीमत पर 20 प्रतिशत लाभ प्राप्त किया जाए।

44/11 हिन्दी में सृजनात्मक डिप्लोमा पाठ्यकम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

पाठ्कम प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। साथ, यह भी निर्णय किया गया कि इसमें पत्रकारिता लेखन को जोडा जाए तथा बी0आर0 अंबेडकर विश्वविद्यालय से पाठयकम प्राप्त करने बाद आवश्यकतानुसार सम्पादन किया जाए।

44/12 डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ओटोमेशन का पाठ्कम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

लाइब्रेरी ओटोमेशन पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

44/13 सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर स्तरीय कार्यकम प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर स्तरीय कार्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करते हुए यह निर्णय किया गया कि इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता

स्नातक रखी जाए । इसके अतिरिक्त पर्यटक उद्यमिति का प्रमाण पत्र भी प्रारंभ किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की गई :–

1. डा0 कमलेश शर्मा
2. डा0 अशोक शर्मा
3. डा0 याकूब अली खान
4. श्री योगेश शर्मा

44/14 बोर्ड आफ स्कूल,बोर्ड आफ स्टेडीज एवं कार्यक्रम अभिकल्प समिति के गठन एवं कार्यकलापों के सम्बन्ध में गठित समिति का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं प्रस्ताव पर डा0 एल0 आर0 गुर्जर द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद सदस्यों द्वारा किए गए विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय किया गया कि विद्यापीठों के निदेशकगणों की अपने विद्यापीठ के कार्यसंपादन में स्वत्रंत भूमिका रहेगी, किंतु निदेशक, संकाय द्वारा विद्यापीठों में कार्डिनेशन का कार्य किया जाएगा ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों में एकरूपता बनी रहे।

44/15 अंग्रेजी में सर्टिफिकिट एवं डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई ।

44/16 अधिकतम अवधि पूर्ण विद्यार्थीयों को एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की गयी कि वे आगामी अधिकतम तीन परीक्षाओं में अपना कार्यक्रम पूर्ण कर लें।

44/17 उपाधि/डिप्लोमा प्रमाण पत्रों पर कुलसचिव की फेसीमाईल मोहर लगाए जाने की अनुमति बाबत् प्रस्ताव।

निर्णय संख्या 44/09 के अनुसार कार्यवाही की जाए।

44/18 उपाधियों के प्रमाणिकरण का शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव।

निर्णय संख्या 44/09 के अनुसार कार्यवाही की जाए।

44/19 वाणिज्य एवं प्रबंध से सम्बन्धित विभिन्न नवीन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव।

Faculty प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई ।

44/20(1) शैक्षणिक पदो के विषय परिर्वन सम्बन्धी प्रस्ताव।

ESO शिक्षकों के रिक्त पदो के विषय परिर्वतन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

44/20(2) विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों (निर्धारित योग्यताधारी) से शैक्षणिक कार्य करवाने का प्रस्ताव।

ESO आशैक्षणिक कर्मचारियों में योग्यताधारी कार्मिकों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक कार्य (काउंसलिंग) में सहयोग करने हेतु सहमति प्रदान की गई, तथा इस कार्य संपादन हेतु प्रो0 पी0 के0 शर्मा इन कार्मिकों के लिए एक ओरियेंटेशन कार्यक्रम करवाऐंगे। तथा यह भी निर्णय किया गया कि भविष्य में भी कोई कार्मिक इस प्रकार की योग्यता [illegible] है तो उसे भी ओरियेंटेशन कार्यक्रम के बाद काउंसलिंग का कार्य करवाया जा [illegible]

44/20 (3) संस्कृत विभाग से प्राप्त नवीन पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव।

Faculty पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रकट की गई।

44/20(4) आर0 के0 सी0 एल0 के साथ एम0ओ0यू0 में उल्लेखित शर्तो के सम्बन्ध में पुर्नविचार का प्रस्ताव।

आर0 के0 सी0 एल0 के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय विद्यार्थी मानने के सम्बन्ध में स्टेट्युचरी प्रावधानों के तहत विचार विमर्श करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई:–

1. प्रो0 पी0 के0 शर्मा	संयोजक
2. डा0 एल0 आर0 गुर्जर	सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

यह समिति दस दिवस में अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करे ताकि उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर उसे प्रबंध मंडल में अनुमोदित करवाया जाना संभव हो सके। विद्या परिषद ने यह भी निर्णय किया कि वर्तमान में संचालित बैच (जनवरी–2013) के उपरांत आर0के0सी0एल0 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान नहीं करे। विश्वविद्यालय

वर्तमान में संचालित बैच का स्थापित प्रावधानों के अंतर्गत निस्तारण करेगा तदुपरांत आगामी योजना के लिए अनुबंध किया जायगा।

44/20(5) निदेशक (क्षे0सेवा विभाग) से मॉडल अध्ययन केन्द्र एवं पी0पी0पी0 मॉडल पर अध्ययन केन्द्र खोलने बाबत् प्रस्ताव।

नवीन मॉडल के आधार पर अध्ययन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय किया गया कि जोनलवाइज क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाये तथा लोकल कनेक्टीविटी के तहत अध्ययन केन्द्र खोले जाने चाहिए। पुराने अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि जो अध्ययन केन्द्र कियाशील नहीं है उन्हें बंद किया जाए तथा जो कियाशील हैं, उन्हें पुरानी प्रकिया के अधीन ही संचालित किया जाए।

44/20(6) विश्वविद्यालय शिक्षकों को यू0जी0सी0 नियमों के तहत गैर अवकाशीय माने जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, एवं प्रस्तावित समिति में डा0 अशोक शर्मा का नाम भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया।

44/20(7) 1989 से पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु पात्र माने जाने बाबत् प्रस्ताव।

सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के उपाधि धारकों को प्रवेश दिये जाने का निर्णय किया गया।

44/20(8) विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रारंभ करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

44/20(9) शैक्षणिक कलैण्डर सम्बन्धी प्रस्ताव।

परीक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न कैलैण्डर का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि परीक्षा एक माह में समाप्त हो जाये एवं परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आगामी एक माह में निकल जायें।

44 / 20(10) डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

44 / 20(11) परामर्शदाताओं को क्षेत्रीय केन्द्र पर पदस्थापित करने का प्रस्ताव।

विभागाध्यक्ष शिक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए एन0सी0टी0ई0 की गाइडलाइन की पालना की जाएगी एवं एक पद एस0एफ0एस0 के माध्यम से सृजित करने का निर्णय किया गया।

44 / 20(12) आधारभूत सौदर्यप्रसाधन में प्रमाण पत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

44 / 20(13) शिक्षकों की चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

शिक्षकों के चयन हेतु 1974 अधिनियम की प्रक्रिया के तहत 17 विषयों के विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया।

44 / 20(14) स्नातक (कला) वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की ग्रुपिंग का प्रस्ताव।

स्नातक (कला) उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक विषयों के समूह के सम्बन्ध में उत्तराखंड विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं कोटा विश्वविद्यालय के पेर्टन का अध्ययन कर ग्रुपिंग का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित सस्दस्यों की समिमिति गठित की गयी :-

1.	प्रो0 बी0 के0 शर्मा	संयोजक
2.	डा0 एल0 आर0 गुर्जर	सदस्य
3.	डा0 अशोक शर्मा	सदस्य
4.	डा0 श्रीमति क्षमता चौधरी	सदस्य

उक्त समिति 21 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उक्त निर्णयों के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत मौखिक प्रस्ताव पर सदन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. विद्या परिषद का समस्त कार्य निदेशक (संकाय) के यहां से संपादित होता है, परंतु वर्तमान में विद्या परिषद का सदस्य सचिव कुलसचिव है, अतः निदेशक (संकाय) को विद्या परिषद का सदस्य सचिव बनाए जाने हेतु अधिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रबंध मंडल में प्रस्तुत किया जाए।
2. डी0एस0टी0 प्रोजेक्ट जो प्रो0 के0 पी0 माहेश्वरी के निर्देशन में चल रहा है उसका समस्त सामान फर्नीचर, ए0सी0, पुस्तक, कंप्युटर इत्यादि विश्वविद्यालय में ही रखा जाए तथा प्रो0 माहेश्वरी एवं उनके छात्र यदि शोध कार्य हेतु इनका उपयोग करना चाहे तो वि0वि0 में उपस्थित होकर इनका उपयोग कर सकते हैं।

बैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत समाप्त हुयी।

B.B. Sharma
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

परि— 1

ऐकेडमिक कलेण्डर

क.सं.	गतिविधि	प्रवेश सत्र जुलाई	प्रवेश सत्र जनवरी
01	प्रवेश विज्ञापन जारी होने की तिथि	15 मई	15 नवम्बर
02	प्रवेश प्रारम्भ की तिथि	1 जून	1 दिसम्बर
03	प्रवेश की अन्तिम तिथि (बिना विलम्ब शुल्क)	31 जुलाई	31 जनवरी
04	प्रवेश की अन्तिम तिथि (विलम्ब शुल्क)	31 अगस्त	28 फरवरी
05	प्रवेश सूची परीक्षा विभाग में पहुंचने की अन्तिम तिथि	प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिनों में	
	सत्र प्रारम्भ की तिथि	1 जुलाई	1 जनवरी
06	पाठ्य सामग्री प्रेषण की अन्तिम तिथि	प्रवेश की अन्तिम तिथि से 30 दिनों में	
07	परामर्श कक्षाऐं /सम्पर्क शिविर	अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से मई के द्वितीय सप्ताह तक	मई के प्रथम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक
08	आन्तरिक मूल्यांकन हल कर के जमा कराने की अन्तिम तिथि	1 अप्रेल से 30 अप्रेल के मध्य	1 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य
08	परीक्षा केन्द्र निर्धारण होकर परीक्षा विभाग को सूची प्राप्त होने की तिथि	31 मार्च	30 सितम्बर
09	प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराने की तिथि	परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 1 माह पूर्व	
10	प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	25 मई से 10 जून	25 नवम्बर से 10 दिसम्बर
11	प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्राप्त करने की तिथि	15 जून	15 दिसम्बर
12	विषय/क्षे.के. परिवर्तन के आदेश प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	15 मार्च	15 सितम्बर
13	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15 मार्च	15 सितम्बर
14	परीक्षा फार्म भरने की तिथि (डिफाल्टर्स एवं अंकसुधार छात्रों के लिए)	**जून परीक्षा के लिये** **15 मार्च से 15 अप्रेल** लेट फीस रू0 100/–सहित **30 अप्रेल**	**दिसम्बर परीक्षा के लिये** **15 सितम्बर से 15 अक्टूबर** लेट फीस रू0 100/–सहित **31 अक्टूबर**
15	परीक्षा फार्म की ऑनलाईन फीडिंग नव प्रवेशित छात्र डिफाल्टर्स	 1 अप्रेल तक 10 मई तक	 1 अक्टूबर 10 नवम्बर
16	टाईम टेबल प्रकाशित करने की तिथि	प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्दर	
17	अनुमति प्रत्र जारी करने की तिथि	20 मई	20 नवम्बर
18	पेपर वितरित करने की प्रारम्भिक तिथि इसके बाद आवश्यकतानुसार किन्तु कुल 3 बार में	10 जून	15 दिसम्बर
19	परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथी	15 जून	21 दिसम्बर
20	पेपर मोडरेशन की तिथी	30 अप्रेल	31 अक्टूबर
21	परिणाम घोषित करने की तिथि	कार्यक्रम की परीक्षा समापन होने के 45 कार्यदिवसों के अन्दर	
22	अंकतालिका प्रेषित करने की तिथि	परीक्षा परिणाम जारी होने के 20 दिन के अन्दर	
23	पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की तिथि **(अंक सुधार छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन लागू नहीं)**	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर	

12/13

24	पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी होने की तिथि	आवेदन पत्र परीक्षा विभाग में प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर
25	परिणाम में विसंगति की परिस्थिति में छात्र द्वारा आवेदन करने की तिथि	परिणाम घोषित होने के एक माह के अन्दर
26	उपाधि प्रेषण	प्रशासनिक निर्णय के अनुसार
प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये कैलेण्डर		
27	बी.एड प्रवेश परीक्षा एवं प्रबन्ध प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की तिथि	फरवरी माह का दूसरा रविवार
28	आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथी	23 मार्च (अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस)
29	बी.एड प्रवेश परीक्षा एवं प्रबन्ध प्रवेश परीक्षा की तिथि	अप्रेल माह का तीसरा रविवार
30	प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की तिथि	30 अप्रेल
31	बी0एड0 काउन्सिलिंग की तिथियां	16 से 20 मई

परीक्षा नियन्त्रक

① New nomination for AC.

② RD – non teaching Achieve.

③ selection procedure

④ ——

18/10/13